ायालय उपखण्ड अधिकारी,नैनवॉ जिला बून्दी(राज0)

र्थना–पत्र संख्या :–20 / 2021 दायर दिनांक: 15.02.2021

CMS NO:- 2021/44 पीठासीन अधिकारी :– श्री शत्रुघ्न सिंह गुर्जर

1. राकेश आ0 जगदीश जाति धाकड़ निवासी जजावर तहसील नैनवां जिला बून्दी राज0

–प्रार्थी

बनाम

2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब तहसील नैंनवां जिला बून्दी।

––अप्रार्थी

<u>प्रार्थना पत्रः– अंतर्गत धारा 111,128 एल0आर0 एक्ट</u>

उपस्थितिः–

1. प्रार्थी की ओर से अभिभाषक श्री रामबाबू शर्मा।
2. अप्रार्थी की ओर से पैरोकार सरकार नायब तहसीलदार नैनवां।

निर्णय दिनांक 03.07.2023

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का कथन इस प्रकार है कि ग्राम जजावर पटवार हल्का जजावर में खाता संख्या 475 की खसरा संख्या 2484 रकबा 1.9578 हेक्टेयर भूमि स्थित है जिसका प्रार्थी ने सीमाज्ञान करवा रखा है इसके बावजूद भी आस पास के पडोसी खेत वाले प्रार्थी की भूमि की मेरो को तोडते है। इसलिए प्रार्थी उक्त भूमि की श्रीमान के न्यायालय द्वारा पत्थरगढी करवाना चाहते है ताकि अनावश्यक विवाद समाप्त हो सके । प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में शपथ–पत्र, नकल जमाबन्दी, नकल मौका पर्चा दिनांक 05.07.2021 आदि पेश किये है।

प्रार्थना के सम्बन्ध में तहसीलदार नैनवां से पत्थरगढी के सम्बन्ध में रिपोर्ट प्राप्त की गई। तहसीलदार नैनवां की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि प्रार्थीगण के खातेदारी दर्ज रिकार्ड है तथा मौके पर कब्जा काश्त है। जिसका सीमाज्ञान दिनांक 30.06.2021 को किया जा चुका है। प्रार्थना पत्र में वर्णित खसरा नम्बरान की भूमि पर किसी न्यायालय का स्थगन नहीं है।

हमनें प्रार्थना पत्र, शपथ–पत्र, प्रस्तुत रिकार्ड दस्तावेज तथा तहसीलदार नैनवां की रिपोर्ट का अवलोकन किया। बहस उपस्थित पक्षकारान सुनी गई। तहसीलदान नैनवां की रिपोर्ट से स्पष्ट होता है प्रार्थीगण उक्त वर्णित भूमियों के खातेदार है एवं मौके पर कब्जा काश्त है। उक्त खसरा नम्बरान के सम्बन्ध में किसी न्यायालय में किसी प्रकार का स्थगन नहीं है। प्रार्थीगण को उनके खातेदारी की उक्त वर्णित भूमियों पर नियमानुसार पत्थरगढी करवाये जाने का अधिकार प्राप्त है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता हैं। ग्राम जजावर पटवार हल्का जजावर में खाता संख्या 475 की खसरा संख्या 2484 रकबा 1.9578 हेक्टेयर भूमि पर तहसीलदार नैनवां को नायब तहसीलदार अथवा भू–अभिलेख निरीक्षक स्तर के अधिकारी की टीम गठित कर व आवश्यक हो तो पुलिस इमदाद प्राप्त कर नियमानुसार शुल्क राजकोष में जमा करने पर पत्थरगढी किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त खसरा नम्बरान के सम्बन्ध में यदि किसी न्यायालय में किसी प्रकार का स्थगन हो तो तहसीलदार नैनवां को निर्देशित किया जाता है कि स्थगन आदेश निरस्त होने तक इस निर्णय की पालना की कार्यवाही सम्पादित नहीं की जावे।

निर्णय आज दिनांक 03.07.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Shatrughan Singh Gurjar
Date: 2023.08.28 18:08:43 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नैनवाँ

उपखण्ड अधिकारी नैनवाँ (बून्दी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नैनवां जिला बून्दी (राज0)

क्रमांकः– रीडर/2023/ 194 दिनांकः– 10.7.23

प्रेषितिः–

तहसीलदार
नैनवां।

विषयः–न्यायालय निर्णय की पालना करने हेतु।

वाद/प्रार्थना पत्र संख्या 111/ग्रापंच/2021

बउनवान राकेश बनाम राज0 सरकार

निर्णय दिनांक 3-7-2023

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि ~~वाद पत्र~~/प्रार्थना पत्र के निर्णयानुसार पत्र के साथ ~~प्राथमिक डिक्री/अन्तिम डिक्री~~/अंतिम निर्णय की प्रति वास्ते पालना हेतु भिजवायी जा रही है। पालना अन्दर 7 योम के की जाकर रिपोर्ट से अवगत करावे।

संलग्नः– उक्तानुसार।

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां

Signature Not Verified

Digitally signed by Shatrughan Singh Gurjar
Date: 2023.08.28 18:08:43 IST
Reason: SelfAttested